

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(शाखा-ख)

सं० एस.जे.ई.-बी.- ए.(3)-1/2023-लूज शिमला-02 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग द्वारा अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 दिनांक 29 जून, 2010 एवं 09 मई, 2023 के नियम 4(2) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम 4. पात्रता:-

(2) दिव्यांग राहत भत्ता : ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनको चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 की उपधारा (यंग) की अनुसूची में "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" के अन्तर्गत दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो तथा जो स्वयं सरकारी/ अर्ध सरकारी/ निगमों/ बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हो व अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रहे हों तथा आयकर दाता न हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

आदेश द्वारा

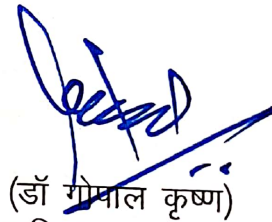
श्याम भगत नेगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या — यथोपरि— शिमला-02, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त प्रधान सलाहकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2।
4. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
5. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश -9।
7. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2।
8. प्रधान महालेखकार (लेखापरीक्षा)/वरिष्ठ उप-महालेखाकार, हि0 प्र0, शिमला-3।
9. आवासीय आयुक्त, पांगी/अतिरिक्त उपायुक्त, काजा/उपमण्डलाधिकारी (ना0) भरमौर, डोडरा क्वार, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को मंत्रीमण्डल की आयोजित बैठक दिनांक 24-11-2025 की मद संख्या 12 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
11. समस्त जिला कल्याणकारी अधिकारी/तहसील कल्याणकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
12. प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, विशेष निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव, समस्त मंत्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
13. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
14. गार्ड फाईल।



(डॉ गोमाल कृष्ण)

अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार।